

न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत, दुमका

क्रि० मी०/आवेदन पत्र वाद सं०-203/2017

जिन्ना लाल किराण बनाम सुशील पावरिया

144
~~107~~ C.S.P.C.


आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3


आदेश

8-12-18

अभिलेख राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थापित। उभयपक्ष लम्बी अवधि से अनुपस्थित। जिससे स्पष्ट होता है कि उभय पक्षों का इस वाद में अभिरुचि नहीं है।

अतः उभय पक्ष की अभिरुचि के अभाव में वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है। अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस भेजें।


सदस्य सं० 1
रा०लो०अदालत
दुमका।


सदस्य सं० 2
रा०लो०अदालत
दुमका।

सदस्य सं० 3
रा०लो०अदालत
दुमका।